संख्या-70/2562/तीस-3-14-29बी/2013

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक 19 सितम्बर, 2014

विषय :- वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजनागत पक्ष में परिवहन विभाग के कम्प्यूटरीकरण की योजना के अन्तर्गत वाहनों के पंजीयन प्रमाण-पत्र के लीगेसी डाटा डिजिटाइजेशन हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-44(जी)कं0से0/2014-कं0से0(ए-2006)वाल्यूम-12/14, दिनॉक 05-09-2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय में प्रावधानित धनराशि रू0 52200 हजार (रू0 पांच करोड़ बाइस लाख मात्र) में से वाहनों के पंजीयन प्रमाण-पत्र के लीगेसी डाटा डिजिटाइजेशन हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 42200 हजार (रू0 चार करोड़ बाइस लाख मात्र), जिसमें से वाहनों के पंजीयन प्रमाण-पत्र के लीगेसी डाटा डिजिटाइजेशन के कार्य हेतु नियुक्त कार्यदायी संस्था यूपीडेस्को द्वारा प्रस्तुत 05 बिलों में निहित धनराशि के भुगतान हेतु शासनादेश संख्या-55/2011/30-3-14-75बी/2000टी0सी0 (कम्प्यूटरीकरण), दिनॉक 11-08-2014 द्वारा धनराशि रू0 3581250/- (रू0 पैंतीस लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है, के समायोजन के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 38618750/- (रू0 तीन करोड़ छियासी लाख अठ्ठारह हजार सात सौ पचास मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनॉक 14-03-2014 व कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनॉक 22-07-2014 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- परिवहन विभाग के कम्प्यूटरीकरण की योजना के अन्तर्गत वाहनों के पंजीयन प्रमाण-पत्र के लीगेसी डाटा डिजिटाइजेशन के कार्य हेतु नियुक्त संस्था यूपीडेस्को के द्वारा प्रस्तुत किये गये बिलों में पूर्व में स्वीकृत धनराशि का समायोजन करने के उपरान्त अगले भुगतान हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाये, जिसके परीक्षणोपरान्त अपेक्षित वित्तीय स्वीकृति शासन स्तर से निर्गत की जायेगी।

2- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-70/2562(1)/30-3-2014, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0प0निगम, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
9- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in